भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या - 4712

सोमवार, 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक)

आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता

4712. श्री मारगनी भरत:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार विभाजन के पश्चात् वित्तीय संकट से जूझ रही है;
(ख) यदि हां, तो राज्य को गत पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) वित्तीय सहायता पर आंध्र प्रदेश की मांग का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या राज्य की उक्त मांग पूरी कर दी गई है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वर्ष दर वर्ष वृद्धि में वर्ष 2014-15 के 13.1% की तुलना में 2017-18 में 16.1% की बढ़ोतरी हुई है। राज्य बजट 2019-20 के दस्तावेजों के अनुसार राज्य का राजस्व घाटा 2014-15 में 24315 करोड़ रुपए से घटकर 2017-18 में 16152 करोड़ रुपए हो गया है और 2018-19 (सं.प्रा.) में इसके 11655 करोड़ रुपए तथा 2019-20 (ब.प्रा.) में 1779 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। पूंजी व्यय 2014-15 में 11409 करोड़ रुपए से बढ़कर 2015-16 में 14172 करोड़ रुपए, 2016-17 में 15181 करोड़ रुपए और 2017-18 में 13491 करोड़ रुपए हो गया है तथा 2018-19 (सं.प्रा.) में इसके 20398 करोड़ रुपए और 2019-20 (ब.प्रा.) में 32293 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को पिछले पांच वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा अनुबंध-क में दिया गया है।

(ग) से (ड.): आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री की ओर से उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा सामना की जा रही वित्तीय चुनौतियों और विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने सहित दिनांक 26.05.2019 का मांग संबंधी एक घोषणापत्र प्राप्त हुआ है जिसे पंद्रहवें वित्त आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है।

*****

अनुबंध-क

दिनांक 22.07.2019 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 4712 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विभाजन के पश्चात् उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को जारी की गई धनराशि

(करोड़ रुपए में)

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत आंध्र प्रदेश को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता							
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के उपबंध	**'विशेष सहायता' उपलब्ध कराने के लिए चिन्हित मदें**	**जारी धनराशि**					**वित्त वर्ष 2018-19 तक कुल योग**
		2014-15	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	
धारा 46(2)	संसाधन अंतर	2303.00	500.00	1176.50	-	-	3979.50
धारा 46(2) और (3) तथा 94(2): पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष	रयालसीमा और उत्तर तटवर्ती क्षेत्रों को शामिल करते हुए राज्य के 7 पिछड़े जिलों के लिए विकास अनुदान	350.00	350.00	350.00	-	-	1050.00
धारा 6 और 94 (3 और 4): नई राजधानी शहर के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता	आवश्यक ढांचागत विकास आदि हेतु राजधानी शहर के लिए सहायता	1500.00*	550.00	450.00	-	-	2500.00
धारा 90(1): पोलावरम सिंचाई परियोजना को एतद्वारा एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाता है। **	राष्ट्रीय पोलावरम सिंचाई परियोजना	250.00#	600.00^	2514.70 #	2000#	1400#	6764.70
उप योग		**4403.00**	**2000.00**	**4491.20**	**2000.00**	**1400**	**14294.20**
विशेष सहायता उपाय						15.81$	15.81
कुल योग		**4403.00**	**2000.00**	**4491.20**	**2000.00**	**1415.81**	**14310.01**

$: राज्य द्वारा 2015-16 से 2017-18 तक हस्ताक्षरित और आबंटित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए ब्याज का पुनर्भुगतान
#: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया।
^: इसमें व्यय विभाग द्वारा जारी 200 करोड़ रुपए का अनुदान शामिल है।
****: 01.04.2014 से प्रारंभ होने वाली अवधि से परियोजनाओं के केवल सिंचाई घटक की शेष लागत के 100% का वित्तपोषण उस दिन के सिंचाई घटक की लागत तक सीमित होगा।**
***: इसमें शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी 1000 करोड़ रुपए शामिल हैं।**